

(भारत के राजपत्र, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)


भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,  
नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल, 2008

संकल्प

सं. 21034/18/2008-रा.भा. (प्रशि.) संसदीय राजभाषा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 4 (4) के अंतर्गत इस विभाग के दिनांक 4 नवंबर, 1991 के संकल्प संख्या 13015/1/91-रा0भा0 (घ) के द्वारा सूचित किए गए थे। उस संकल्प के पैरा-5 के तहत दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संकल्प सं. 14034/17/2005-रा0भा0 (प्रशि0) दिनांक 16 नवंबर, 2005 के तहत ये आदेश दिया गया था कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् "क", "ख" एवं "ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2008 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

2. उक्त संकल्प में पुनः आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् "क", "ख" एवं "ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2015 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।




(पी.वी.वल्सला जी. कुट्टी)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार कौंसिल आफ इंडिया को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।



(पी.वी.वल्सला जी. कुट्टी)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,  
प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
फरीदाबाद।

.....2/-

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें ।
2. संघ लोक सेवा आयोग ।
3. भारत का निर्वाचन आयोग ।
4. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. बैंकिंग प्रभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
6. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
9. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
10. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
13. निदेशक (जनसम्पर्क), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
14. संसद का पुस्तकालय (15 अतिरिक्त प्रतियां) ।
- ✓ 15. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक ।
16. निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग (5 प्रतियां) ।
17. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8 वी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, लोदी रोड नई दिल्ली ।
18. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, लोदी रोड नई दिल्ली ।
19. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
20. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
21. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स वाई-68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली ।
22. सचिव, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केन्द्र (दिल्ली नगर निगम), 10788-89, झंडेवाला रोड, नबी करीम, नई, दिल्ली-110055 ।
23. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, 18वां तल, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, आचार्य जे.सी.बोस रोड, कोलकता-700020 ।
24. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, तीसरा माला, कामर्स हाउस, बेलार्ड एस्टेट, करीम भाई रोड, मुंबई-400001.
25. उप-निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, कमरा नं. 302, तीसरा तल, सी.जी.ओ.भवन, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001 ।
26. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सदन, 5वां तल, " डी विंग", कोरमंगला, बैंगलूर- 560034 ।
27. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, 6/3, चितौड़ काम्पलैक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011

28. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), गृह मंत्रालय, राजभ विभाग, " विल्लनशेरिल भवन", एम जी रोड, पेरुमानूर, कोचीन.682015
29. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभ पूर्व सरणिया रोड, पोस्ट-शिलपुखरी, चांदमारी, गुवाहाटी-781003 ।
30. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभ ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23
31. अतिरिक्त प्रतियां (25) ।